



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.02.2012	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या-94 / 2008</p> <p>1. मसोमात कावती देवी, पति-स्व० शिवनारायण मंडल 2. अभय कुमार मंडल 3. अजय कुमार मंडल 4. संतोष कुमार मंडल 5. शेखर कुमार मंडल सभी का साकिन-टीकापट्टी, थाना-टीकापट्टी, जिला-पूर्णियाँ..... आवेदकगण बनाम</p> <p>1. संजय कुमार सिंह 2. राज कुमार सिंह 3. अनुज कुमार सिंह 4. अंचलाधिकारी, रूपौली</p> <p style="text-align: center;">कमांक-2 से 5 के पिता-स्व० शिवनारायण मंडल</p> <p style="text-align: center;">तीनों के पिता-चन्द्रदेव सिंह</p> <p style="text-align: right;">विपक्षी संख्या-1 विपक्षी संख्या-2</p> <p style="text-align: center;">आ दे श</p> <p>आवेदकगण अनुमंडल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या-16 / 2005-06</p> <p>21/2008-09 में दिनांक 17.05.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदकगण एवं विपक्षी संख्या-1 एक ही पूर्वज स्व० ठीठरू मंडल के परिवार के सदस्य है। ठीठरू मंडल के मृत्यु के पश्चात उनके तीनों पुत्र राजू मंडल, बाजो मंडल एवं सुकदेव मंडल पिता के सम्पत्ति का आपसी बंटवारा कर लिया। कुछ समय बाद बाजो मंडल भी तीन पुत्र शिवनारायण मंडल, देवनारायण मंडल, जयनारायण मंडल एवं विधवा पत्नी को छोड़कर स्वर्गीय हो गये। पुनः बाजो मंडल की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने भी पिता की सम्पत्ति का आपसी बंटवारा कर लिया। शिवनारायण मंडल आवेदिका के पति ने सुकदेव मंडल की पत्नी दयमन्ती देवी से मौजा-धूसर टीकापट्टी, खाता संख्या-802, खेसरा संख्या-5121, रकवा-65 छिसमिल जमीन रजिस्टर्ड केवाला द्वारा अपने पुत्र आवेदक संख्या-2, 3 एवं 4 के नाम खरीदा। दिनांक 04.04.2005 को शिवनारायण मंडल ने ग्रामीण पंचों के समक्ष अपनी सम्पत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों के बीच कर दिया। इस पंचनामा बंटवारा के आधार पर आवेदकगण अंचलाधिकारी, रूपौली को नामान्तरण हेतु दिनांक 08.06.2005 को आवेदन दिया। अंचलाधिकारी द्वारा आम सूचना निर्गत होने के बाद विपक्षी संख्या-1 ने खाता संख्या-1218, खेसरा संख्या-5171, रकवा-1.38 एकड़, खाता संख्या-1218, खेसरा संख्या-4668, रकवा-1.76 एकड़, खाता संख्या-1213, खेसरा संख्या-5142, रकवा-16 डिसमिल एवं खाता संख्या-802, खेसरा संख्या-5121, रकवा-65 डिसमिल, मौजा-धूसर टीकापट्टी के विरुद्ध आपत्ति आवेदन दिया। अंचलाधिकारी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर खाता संख्या-1214, खेसरा संख्या-5395, रकवा-1.00 एकड़, खेसरा संख्या-5396, रकवा-90 डिसमिल को छोड़कर</p>	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>शेष जमीन के नामान्तरण हेतु आदेश दिया। अंचलाधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध विपक्षी संख्या-1 ने अनुमंडल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या-16/2005-06 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश को रद्द कर दिया गया। आवेदिका संख्या-1 के पति द्वारा खरीदी गयी जमीन पर आवेदकगण अपना घर बनाकर रहने लगे, जिसे हल्का कर्मचारी ने स्थल जाँच के क्रम में भी देखा है। निम्न न्यायालय द्वारा ऐसे भी जमीन के नामान्तरण आदेश को रद्द किया गया, जिसके विरुद्ध विपक्षी ने आपत्ति भी नहीं दिया था। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के विरुद्ध है। अतः आवेदकगण निवेदन करता है कि अपने स्तर से निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन कर न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।</p> <p>विपक्षी का कथन है कि आवेदकगण द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। मौजा-धूसर टीकापट्टी, खाता संख्या-1213, खेसरा संख्या-5171, रकवा-54 डिसमिल, खेसरा संख्या-5142, रकवा-3 डिसमिल, खाता संख्या-1218, खेसरा संख्या-4668, रकवा-21 डिसमिल एवं खाता संख्या-802, खेसरा संख्या-5121, रकवा-65 डिसमिल, कुल रकवा-1.45 एकड़ जमीन विपक्षी प्रथम पक्ष एवं उसकी माता द्रोपदी देवी के नाम जमाबन्दी पंजी में दर्ज है और उपरोक्त जमीन का नामान्तरण आदेश अंचलाधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-265/2005-06 में आवेदकगण के नाम दर्ज करने हेतु पारित किया गया। अंचलाधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी ने भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धमदाहा के न्यायालय में अपील दायर किया। भूमि सुधार उप-समाहर्ता दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिये कि पुनः अंचलाधिकारी अपने स्तर से संबंधित पक्षकारों को नोटिश निर्गत कर तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कागजात, पंचनामा बंटवारा तथा स्थल निरीक्षण कर दखल के आधार पर तीन महीने के अन्दर नामान्तरण आदेश पारित किया जाय। इस आदेश के साथ अभिलेख अंचलाधिकारी को वापस किया गया। परन्तु आवेदकगण निम्न न्यायालय के आदेश का पलन किये बगैर इस न्यायालय में यह पुनरीक्षण वाद प्रारम्भ किया, जो नियमानुकूल नहीं है। अतः विपक्षीगण निवेदन करता है कि आवेदकगण द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27.01.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अंचलाधिकारी के द्वारा पारित आदेश भी गलत है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में अंचलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध वाद दायर किया गया। इसमें विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के द्वारा पुनः जाँचकर 03 (तीन माह) के अन्दर विधिवत आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। परन्तु आवेदक के द्वारा 03 (तीन) माह पूर्व होने के अंचलाधिकारी के आदेश के इंतजार किये बिना सीधे इस न्यायालय में वाद दायर किया।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के आवेदन निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक के द्वारा धारा-48 (E) (1) के तहत यह वाद दायर किया गया, जो इस न्यायालय में निर्वहन योग्य नहीं है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि यह वाद अभी भी अंचलाधिकारी, रूपौली के न्यायालय में</p>	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क कार्रवाई के टिप्पणी तार सहित
1	2	3
	<p>लंबित है। इस संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, इसलिये अंचलाधिकारी, रूपौली को विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धमदाहा द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विधिवत आदेश अविलम्ब पारित करने के निदेश के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	<p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>